मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 1997 (फाल्गुन 27, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जयंत मलैया, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, दमोह नगर एवं सागर जिले के जैसीनगर में पेयजल संकट होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सदस्य, रायगढ़ जिले की सपनई योजना से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर के माणिक बाग रोड रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने,

(2) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के कटनी नगर स्थित शासकीय कन्या हाई-स्कूल एवं शासकीय धन्नीबाई माध्यमिक शाला को प्रोन्नत किये जाने,

(3) श्री रामकुमार पटेल, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बरगी में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(4) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम झरिया टोला में विद्युतीकरण कराये जाने,

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक-31 के अन्तर्गत ग्राम सेवनिया गोंड में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(6) श्री प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के -

(क) कपूरना नदी पर पुल बनाये जाने, तथा
(ख) तहसील मुख्यालय नटेरन स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन बनाये जाने, एवं

(7) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोनी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 10 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

-2-

निर्धारित समय	6. वर्ष 1997-98 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
30 मि.	(1) मांग संख्या 65	विमानन विभाग
30 मि.	(2) मांग संख्या 35 मांग संख्या 51	पुनर्वास धार्मिक न्यास और धर्मस्व
1 घन्टा	(3) मांग संख्या 25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मि.	(4) मांग संख्या 44	उच्च शिक्षा
	(5) मांग संख्या 06 मांग संख्या 87	वित्त विभाग से संबंधित व्यय वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 1997 (क्रमांक 9 सन् 1997) का पुरःस्थापन * करेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 1997

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.